तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 74/2017 हरदीप सिंह आदि बनाम हरविन्द्र सिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
29.07.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए चक 3 पी एस मु.नं. 25 प.नं. 129/273 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2, 6/1 ता 6/5, 7 ने उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण के संबंध में पूर्व में रास्ता स्वीकृति हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज. काश्त. अधि. काबिल सिंह बगैरा बनाम चरण सिंह वगैरा प्र. सं. 14/77 न्यायालय में पेश किया गया था। जिस पर तत्कालीन उपजिलाधीश रायसिंहनगर ने पक्षकारान को सुनकर यह आदेश दिया कि मुनं. 7 के कि.नं. 21 ता 25 व मु.नं. 10 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया गया। इसलिए प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। यह पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित हैं। प्रार्थी के पास अपनी जोत तक पंहुचने के लिए रास्ता उपलब्ध हैं,अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। बहस पक्षकारान सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया एवं वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता होने एवं प्रकरण पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष के अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/18/80 दिनांक 22.01.2018 में मु.नं. 25 की संयुक्त खाते की भूमि के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में से 0.025है रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर चक 3 पी एस मु.नं. 25 प.नं. 129/273 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में 2–2 बिस्वा गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार राजस्व उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि के बदले मुआवजे के तौर पर अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि के डी.एल.सी. दर का दो गुणा राशि का भुगतान करेगें। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर प्रार्थीगण से राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को भुगतान करें। आदेश सुनाया गया। इसी आशय का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner